

प्रेषक,

कुमार विनीत ,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासना

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ०प्र०।

आईटी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-2

लखनऊ: दिनांक: नवम्बर, 2021

विषय: यूपी स्वान 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लंबित देयता के भुगतान हेतु धनराशि रू०-4194.498 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-0333 ,दिनांक 20-05-2021 एवं पत्र संख्या- डी/ 21-22/1823 दिनांक 14-09-2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपी स्वान 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लंबित देयता का भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू०-10000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू०- 4194.498 लाख (रू०- इक्कालीस करोड़ चौरानबे लाख उनचास हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
5. भुगतान के पूर्व प्रशासकीय विभाग संबंधित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे था प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।
6. स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आईटी एवं इले० अनुभाग-2 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-25-यूपीस्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-2 (यूपीस्वान-2)-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
9. गार्ड फाइल।